

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 700580 / 2016 इ0फो0

संस्थापित दिनांक 20.09.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. इरफान खॉ उर्फ लल्ला खॉ पुत्र एजाद खॉ, आयु-22 वर्ष
2. एजाद खॉ पुत्र बाबू खॉ आयु-62 वर्ष,
3. श्रीमति खैरुननिशा पत्नि एजाद खॉ, आयु-52 वर्ष,
4. चन्दू उर्फ शाहिद खॉ पुत्र एजाद खॉ, आयु-20 वर्ष,
निवासीगण-वार्ड क्रमांक 9, गोहद, जिला-भिण्ड, म0प्र0।

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा-498ए भा0द0स0 एवं धारा 3 एवं 4 दहेज प्रतिशेध
अधिनियम)

(राज्य द्वारा एडीपीओ-श्रीमति हेमलता आर्य।)

(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता-श्री प्रवीण गुप्ता)

::- निर्णय -::

(आज दिनांक 19.01.2018 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 27.01.15 से दिनांक 21.06.16 के मध्य नूरगंज मोहल्ला गोहद में फरियादिया श्रीमती साइना खान के पति/नातेदार होकर फरियादिया श्रीमती साइना खान से दहेज में पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल की मांग करने तथा मांग की पूर्ति ना होने पर फरियादिया साइना खान को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा साइना खान से दहेज में पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल की मांग कर साइना खान को दहेज देने की लिये दुष्प्रेरित करने हेतु भा0द0स0 की धारा 498 ए एवं दहेज प्रतिशेध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादिया साइना की शादी दिनांक 27.01.15 को इरफान के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से सम्पन्न हुयी थी। शादी से पहले उसके माता पिता की मृत्यु हो गयी थी। उसकी शादी उसकी बड़ी बहन रेश्मा ने की थी। शादी में उसकी बड़ी बहन ने दहेज में सोना चाँदी के जेवर, घर ग्रहस्थी का पूरा सामान एवं 15000/-रुपये नगद दिये थे। शादी के बाद

वह एक दो माह तक अपनी ससुराल में ठीक से रही थी। इसके बाद उसका पति इरफान, सास खैरुननिशा, ससुर एजाद खान, देवर चन्दू आये दिन उसे गंदी गंदी गालियाँ देते थे उसकी मारपीट करते थे और कहते थे कि दहेज में कुछ नहीं लायी हो। आरोपीगण उसे अपनी बड़ी बहन से एक मोटरसाइकल, पचास हजार रुपये नगद लाने के लिये कहते थे तथा मना करने पर उसकी मारपीट कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। फरियादी ससुराल वालों की यातना झेलती रही थी। दिनांक 10.04.16 के आरोपीगण ने उसे मारपीट कर पहने हुये कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया था। दिनांक 18.04.16 को उसका पति इरफान उसके घर ग्वालियर आया था तथा उससे पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकल की मांग की थी। और कहा था कि यदि खाली हाथ आयी तो जान से मार देगे। दिनांक 05.06.16 को भी उसके पति ने उसकी मारपीट की थी। फरियादी द्वारा महिला थाना पड़ाव में लेखीय आवेदन दिया गया था। फरियादिया के आवेदन पर महिला थाना पड़ाव में जीरो पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी थी। तत्पश्चात पुलिस थाना गोहद में अपराध क्रमांक 223/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपीगण को आरोपित आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 27.01.15 से दिनांक 27.01.16 के मध्य नूरगंज मोहल्ला गोहद में श्रीमति साइना खान के पति/नातेदार होकर श्रीमति साइना खान से दहेज में पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकल की मांग की तथा मांग की पूर्ति ना होने पर फरियादिया साइना खान को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित की?

2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया श्रीमति साइना खान से दहेज में पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकल की मांग कर फरियादिया साइना खान को दहेज देने के लिये दुष्प्रेरित किया?

5. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादिया साइना अ.सा. 01 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादिया साइना अ.सा. 01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसकी शादी दिनांक 27.01.15 को इरफान के साथ हुयी थी। शादी के बाद से ही उसका पति व घरवालों से घरेलू बातों को लेकर विवाद हो जाता था एवं उन्ही बातों के कारण

उसने अपने पति, सास, ससुर व देवर के विरुद्ध महिला थाना पड़ाव में लेखीय आवेदन दिया था जो प्र पी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उक्त संबंध में थाना गोहद में एक लेखीय आवेदन दिया था जो प्र पी 2 है जिसके ए से ए भाग के मध्य उसके हस्ताक्षर हैं। उसने महिला थाना पड़ाव में रिपोर्ट की थी जो प्र पी 03 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र पी 4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण उससे दहेज में मोटरसाइकल एवं पचास हजार रुपये नगद लाने के लिये कहते थे एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि मांग की पूर्ति ना होने पर आरोपीगण उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने दिनांक 10.06.16 को उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने वाली बात अपने आवेदन प्र पी 01, प्रदर्श पी 02 एवं रिपोर्ट प्र पी 3 में लिखायी थी।

7. इस प्रकार फरियादिया साइना अ0सा0 1 ने अपने कथन में आरोपीगण से घरेलू बातों पर उसका विवाद होना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपीगण उससे दहेज की मांग करते थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि आरोपीगण उससे दहेज में मोटरसाइकिल एवं पचास हजार रुपये की मांग करते थे तथा ना लाने पर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने वाली बात अपनी पुलिस रिपोर्ट में लिखायी थी।

8. इस प्रकार फरियादिया साइना असा. 1 ने आरोपीगण से घरेलू बातों के उपर विवाद होना बताया था तथा आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने से इंकार किया है। उक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपीगण फरियादी साइना से पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकल दहेज में लाने के लिये कहते थे तथा ना लाने पर उसे प्रताड़ित करते थे। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

9. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे। यदि अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।

10. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 27.01.15 से दिनांक 21.06.16 के मध्य नूरगंज मोहल्ला गोहद में फरियादिया श्रीमती साइना खान के पति/नातेदार होकर फरियादिया श्रीमती साइना खान से दहेज में पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल की मांग की तथा मांग की पूर्ति ना होने पर फरियादिया साइना खान को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तथा साइना खान से दहेज में पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल की मांग कर साइना खान को दहेज देने की लिये दुर्रिस्त किया। फलतः यह न्यायालय आरोपी इरफान खान उर्फ लल्ला खान, एजाद खान, श्रीमति खैरुननिशा, चन्दू उर्फ शाहिद खान को संदेह का लाभ देते हुये उन्हें भा0द0स0 की धारा 498 ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

4

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 700580 / 2016

11. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है। उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।
12. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक – 19/01/2018

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

जानकारी हेतु प्र
विधिक उपयोग